फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(सन्दर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

वित्तीय वर्ष 2022-23

अनुदान संख्या व नाम : 43- परिवहन विभाग

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण — वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रू0 में)

अनुदान संख्या-43 (राजस्व)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान /विनियोग
1	2	3	4	5	6
3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय 01-वेतन	13087.17	226.92	226.92	220.00	12867.17
योग-	13087.17	226.92	226.92	220.00	12867.17

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण : — वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रू0 में)

अनुदान संख्या-43 (राजस्व)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग
7	8	9	10	11	12
3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय					
49-चिकित्सा व्यय	200.00	220.00	20.00	20.00	220.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान।	390.00	596.92	206.92	200.00	590.00
योग-	590.00	816.92	226.92	220.00	810.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) बचत के कारण निम्नानुसार हैं :-

कतिपय कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने, नवीन स्थायी भर्ती न होने तथा कार्मिकों को देय ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृति सम्बन्धी प्राप्त प्रस्ताव अपूर्ण होने अथवा प्राप्त पूर्ण प्रस्ताव स्वीकृति की प्रक्रिया में होने के कारण।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-

क-मद संख्या-49 : विगत वर्षों की तुलना में गत वर्षों में कोविड-19 महामारी का संकट प्रदेश के साथ ही पूरे देश में रहा है। ऐसी स्थिति में सरकारी सेवकों के साथ ही उन पर आश्रितों को इस बीमारी के साथ ही अन्य बीमारियों से गसित होने के कारण विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण। इस मद में रू0 200.00 लाख का बजट प्रावधान चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में पूर्ण धनराशि का बजट आबंटन प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण में किया जा चुका है, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी दो माह से अधिक की अवधि शेष है, जिसके लिये रू0 20.00 लाख की आवश्यकता अनुमानित होने के कारण।

ख-मद संख्या-58 : परिवहन विभाग में 78 डी0बी0ए0 की सेवायें शासन की अनुमति पर भारत सरकार की संस्था-राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (निलिट) के माध्यम से वार्षिक अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) के आधार पर वर्ष 2012 से प्रति वर्ष रिन्यूअल द्वारा प्राप्त की जा रही थीं, इनकी सेवाएं इसी आधार पर दिनांक 30-09-2020 तक लेते हुए इनके पारिश्रमिक का भी भुगतान किया गया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 25-08-2020 के बिन्दु-4 में यह वर्णित है कि "जेम के माध्यम से ही आउटसोर्सिंग कर्मी लेने की अनिवार्यता किये जाने से वर्तमान में कार्य कर रहे कर्मियों की निरन्तरता बाधित नहीं की जायेगी। वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मियों को ही जेम पोर्टल द्वारा चयनित सेवा प्रदाताओं द्वारा रखा जायेगा" के निर्देशानुपालन में डी0बी0ए0 की सेवाओं की निरन्तरता बाधित नहीं की गयी, कई बार निविदाएं आमंत्रित करने के पश्चात निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर माह अप्रैल, 2022 से डी0बी0ए0 की सेवाओं के पारिश्रमिक का भुगतान नयी सेवा प्रदाता संस्था के0डी0एस0 सर्विसेज, प्राईवेट लिमिटेड को किया जा रहा है। दिनांक 01-10-2020 से 31-03-2022 तक डी0बी0ए0 की सेवाओं के पारिश्रमिक का भुगतान तत्समय कतिपय कारणोंवश नहीं किया गया। शासन के पत्र दिनांक 18-08-2022 एवं 19-12-2022 द्वारा डी0बी0ए0 के बकाया मानदेय (दिनांक 01-10-2020 से 31-03-2022 तक) भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में मद संख्या-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में कुल रू0 390.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष डी0बी0ए0 की सेवाओं के पारिश्रमिक का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक रू0 रू0 48,76,124/- का भुगतान तथा बजट की उपलब्धता के दृष्टिगत कुल बकाया 19 माहों में से 12 माहों की धनराशि रू0 2,54,12,819/- अर्थात कुल रू0 3,02,88,943/- का भुगतान किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवधि जुलाई, 2022 से फरवरी, 2023 तक आगणित धनराशि रू0 1,67,93,007/- तथा बकाया अवधि 06 माह की आगणित धनराशि रू0 1,26,09,625/- अर्थात कुल धनराशि रू0 2,94,02,632/- की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में कुल बजट (3,90,00,000 - 3,02,88,943) रू0 87,11,057/- उपलब्ध है। इस प्रकार मद में अतिरिक्त बजट (2,94,02,632 - 87,11,057) रू0 2,06,91,575/- अर्थात रू0 206.92 लाख की आवश्यकता होने के कारण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-RE-budget-1-383-E-9-337-X-2022-23, दिनांक 27 फरवरी, 2023

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/- (मदन मोहन) संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग।	ह0/- (सिद्धार्थ श्रीवास्तव) अपर निदेशक वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन

संख्या-12/2023/288/तीस-3-2023, दिनांक 06 मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्ययय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।